मिट्टी की जाँच अवश्य करवायें

खेती री बातां

जब तक तुम दौड़ने का माद्दा नहीं जुटाओगे, प्रतिस्पर्धा में जीतना तुम्हारे लिए असंभव बना रहेगा।

वर्ष–18 अंक–5 मासिक पत्रिका आर.एन.आई. – 70296/98 5 मई 2015 वार्षिक शुल्क– 12 रुपये

महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना का शुभारंभ

मुहाना मंडी स्थित मुख्य मंडी प्रांगण में किया पुष्प मंडी का शिलान्यास

कृषि मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फुले मुख्य मंडी प्रांगण में 11 अप्रेल को आयोजित समारोह में "महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015" का शुभारंभ किया। श्री सैनी ने इस योजना के बारे में बताते हुए कहा कि योजना का लाभ प्रदेश के उन सभी पल्लेदारों और हमालों को मिलेगा, जिन्होंने मंडियों से अनुज्ञापत्र ले रखा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत महिला हमाल या पल्लेदार को दो प्रसूतियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित 45 दिन की मजदूरी के बराबर सहायता राशि दी जायेगी साथ ही पुरुष पल्लेदार और हमाल को पितृत्व अवकाश के रुप में 15 दिन अकुशल श्रमिक की मजदूरी के बराबर सहायता राशि दी जायेगी। कृषि मंत्री ने बताया कि अनुज्ञापत्रधारी महिला पल्लेदार या हमाल की दो पुत्रियों के विवाह पर 20 हजार रुपए प्रति विवाह सहायता राशि दी जायेगी। दसवीं, बारहवी, स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने वाले इनके बच्चों को भी 2 हजार से लेकर 6 हजार रुपए तक की सहायता प्रदान की जायेगी। साथ ही हमाल या पल्लेदार को गंभीर बीमारी होने पर 20 हजार रुपए तक की सहायता मिल सकेगी।

कृषि मंत्री ने किया पुष्प मंडी का शिलान्यास

कृषि मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फुले मुख्य मंडी प्रांगण, मुहाना में बनने वाली पुष्प मंडी का शिलान्यास किया। इसके शिलान्यास के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस मंडी के बनने के बाद फूल उगाने वाले किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिल सकेगी, साथ ही उपभोक्ताओं को भी सही कीमत पर विभिन्न प्रजातियों के फूल मिल सकेंगे।

श्री सैनी ने फूलों के लिए स्थापित होने वाली इस विशिष्ट मंडी के बारे में बताया कि इस मंडी की स्थापना के लिए कुल 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से एक करोड़ 29 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इस स्वीकृत राशि से यहाँ चारदीवारी के निर्माण सहित, रोड़, पानी जैसी जरुरी आधारभूत सुविधाओं का विकास करवाया जायेगा। श्री सैनी ने इस मंडी के निर्माण कार्य के लिए कृषि विपणन विभाग के निदेशक को निर्देश दिए कि वो ऐसी कार्ययोजना बनायें कि जब हम अगले साल यहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाने आयें तो उस दिन उन्हें इस मंडी के उद्घाटन करने का मौका मिले।

कृषि मंत्री ने की मंडी समिति के सदस्यों और अध्यक्षों के भत्ते बढ़ाने की घोषणा

कृषि मंत्री श्री सैनी ने पुष्प मंडी के शिलान्यास अवसर पर समिति के सदस्यों और अध्यक्षों को मिलने वाले भत्ते के बारे में घोषणा करते हुए कहा कि अब सुपर ए और ए श्रेणी की मंडियों के अध्यक्षों को 15 हजार रुपए प्रतिमाह वाहन भत्ते के रुप में मिलेंगे, ताकि वो किसानों की समस्याओं को समझ सकें। इसी तरह उन्होंने दूसरी श्रेणी की मंडियों के सदस्यों और अध्यक्षों के भत्तों में वृद्धि की भी घोषणा की। बढ़े हुए भत्ते एक अप्रेल से मिलना शुरु हो जायेंगे।

कृषि मंत्री ने हैदराबाद में रिसर्जेन्ट राजस्थान के लिए उद्यमियों को दिया न्यौता

तेलंगाना से साझा की जायेगी खजूर और नारियल की खेती की तकनीक

कृषि मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी ने हैदराबाद में 15 अप्रेल को अपने दो दिवसीय दौरे पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के उद्यमियों से मिलकर रिसर्जेन्ट राजस्थान में भाग लेकर राज्य में निवेश करने का न्यौता दिया। उन्होंने उद्यमियों को कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं और संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने हैदराबाद में खाद्य प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय से जुड़े उद्यमियों से मुलाकात कर उन्हें राजस्थान में निवेश की संभावनाओं के बारे में बताया।

श्री सैनी ने उन्हें राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरसों, जीरा, धनियाँ, बाजरा, मेथी, हीना सहित अनेक फसलों में अग्रणी होने से उन्हें कच्चा माल सही कीमत पर मिलेगा। श्री सैनी ने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। श्री सैनी ने बताया कि तेलंगाना के साथ खजूर और नारियल की खेती की तकनीक साझा की जायेगी। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के प्रगतिशील किसानों को राज्य में आमंत्रित कर, यहाँ के किसानों को इनसे प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। कृषि मंत्री ने टिश्यू कल्चर तकनीक से खजूर के पौधे तैयार कर रही एसीई एग्रो टेक लिमिटेड की लैब का अवलोकन भी किया। उन्होंने तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में हो रही अनार, आम और सब्जियों की खेती का भी निरीक्षण किया।

श्री सैनी ने नारियल विकास बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य में नारियल की खेती की संभावनाओं के बारे में चर्चा की। इस दौरान उनके साथ शासन सचिव एवं आयुक्त, कृषि एवं उद्यानिकी श्री कुलदीप रांका, उद्यान विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री एल. एन. कुमावत, संयुक्त निदेशक श्री सुरेश गौतम, तेलंगाना के उद्यान विभाग के आयुक्त श्री वेंकटराव उपस्थित थे।

निजी जन सहभागिता पर स्थापित की जायेगी अनार और प्याज की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला

कृषि मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी ने जयपुर जिले के बस्सी स्थित अनार के उत्कृष्टता केन्द्र पर 17 अप्रेल को अनार उत्पादन तकनीक विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर कहा है कि अनार, प्याज और नींबू वर्गीय प्रजाति के उच्च गुणवत्ता वाले पौधे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए इनकी निजी जन सहभागिता (पी.पी.पी.मोड) पर टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को अनार के टिश्यू कल्चर के पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे, ताकि किसानों को इसका गुणवत्तायुक्त अच्छा उत्पादन मिल सके। उन्होंने कहा कि कई बार अनार के पौधों में अनेक प्रकार की बीमारियाँ लग जाती हैं, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। श्री सैनी ने कहा कि अनार की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसकी तकनीक को किसानों के खेत तक पहुँचाया जायेगा। राज्य में हो रही अनार की खेती की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अभी यहाँ 10 हजार हैक्टर क्षेत्र में ही अनार की खेती हो रही है, इसलिए इसके क्षेत्र विस्तार के लिए एक विशेष कार्ययोजना बनाई जायेगी। उन्होंने बताया कि जब

शेष पृष्ठ 3 पर .....

समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद व्यवस्था

राज्य के कृषकों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रतिवर्ष समर्थन मूल्य पर विभिन्न फसलों की खरीद का कार्य एफसीआई/नेफेड़ को नोडल एजेंसी नियुक्त कर राजफैड एवं तिलम संघ को एजेंट नियुक्त कर राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियों/ तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से खरीद कार्य कराया जाता है। खरीद कार्य को सुचारु रुप से सम्पादित करने के लिए समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

★ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर स्थापित क्रय केन्द्रों पर खरीद का समस्त कार्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों के द्वारा संपादित किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत किसान के क्रय केन्द्र पर आने पर पर्ची बनाना, छलनी लगवाना, तुलवाना, सिलाई करवाना, सुरक्षित स्थान पर रखवाना एवं उसकी सुरक्षा करना तथा कृषि उपज में जमा करवाने हेतु कांटे पर तुलाई करवाकर परिवहन ठेकेदार को सुपुर्द करने संबधित कार्य सम्मिलित हैं।

★रबी वर्ष 2015–16 के लिए भारत

शेष पृष्ठ 4 पर .....

E mail : kheti_ri_batan@yahoo.co.in

इस अंक में....

www.krishi.rajasthan.gov.in

- मई माह के कृषि कार्य
- परख
- लहसुन प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन तकनीकी
- गर्मी की जुताई करें

पृष्ठ 2

- ऐसे करें गर्मियों में समय का सदुपयोग
- पशुओं के गर्मियों में लगने वाले टीके
- बी.टी. कपास की अनुमोदित कम्पनियाँ एवं किस्में

पृष्ठ 3

- अभी करें तैयारी फलोद्यान लगाने की
- स्वस्थ धरा–खेत हरा

पृष्ठ 4

दूरभाष – 0141–5116240, 2227365/354

मई माह के कृषि कार्य

फसलोत्पादन

★**कपास** की संकर किस्मों में बुवाई के समय गोबर की खाद के साथ प्रति हैक्टर 110 किलो डी.ए.पी. व 65 किलो यूरिया अथवा 300 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 110 किलो यूरिया तथा अमेरिकन किस्मों में बुवाई के समय प्रति हैक्टर 75 किलो डी.ए.पी. व 55 किलो यूरिया अथवा 220 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 75 किलो यूरिया तथा देशी किस्मों में प्रति हैक्टर 55 किलो डी.ए.पी. व 33 किलो यूरिया अथवा 150 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 50 किलो यूरिया ऊरकर देवें। पोटाश उर्वरक मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर देवें।

★**जायद मूंग** की फलियों में दाना बनते समय सिंचाई करें। फलियाँ चटखने से पहले तुड़ाई करें।

बागवानी

★**फल वृक्षों** में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ती हेतु सूक्ष्म तत्व मिश्रण का 5 मिली. दवा प्रति लीटर का घोल बनाकर छिड़काव करें।

★**आम** में सूक्ष्म तत्वों में जस्ते की पूर्ति हेतु जिंक सल्फेट 0.3 प्रतिशत (3 मिलीलीटर प्रतिलीटर पानी) का छिड़काव करें। 10–15 दिनों के अन्तराल पर सिंचाई करते रहें।

★**आंवला** के पौधों में 15–20 दिनों के अन्तराल पर सिंचाई करें।

★**नींबू** में रेड स्पाइडर माईट या सिट्रसिला के नियंत्रण हेतु मोनोक्रोटोफोस 36 प्रतिशत एस.एल. 1 मिली. दवा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। डाइबैक रोग से ग्रसित पौधों में सूखी टहनियां काटें एवं कटे हुए भाग पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगायें। पौधों पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम या मैन्कोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

सब्जियाँ

★**मिर्च** की खेती के लिए किस्में पूसा ज्वाला, आर.सी.एच.–1, मथानिया लौंग, पंत सी–1, जी–3, जी–5, पूसा सदाबहार, पंत सी–2 एवं जवाहर में से किसी एक का चयन करें। एक हैक्टर क्षेत्र में बुवाई के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता रहती है। बीजों को बुवाई से पूर्व 2 ग्राम कैप्टान 50 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। नर्सरी में कार्बोफ्यूरॉन 3 जी कण 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि में मिलायें।

★**बैंगन** एवं **टमाटर** की फसल में नियमित रुप सें सिचाई करते रहें। रोग एवं कीट की पहचान करके झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए मैन्कोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. 2 ग्राम या कॉपर आक्सीक्लोराइड 50 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। फल एवं तना छेदक कीट के नियंत्रण हेतु कार्बेरिल 50 डब्ल्यू.पी. 4 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। दवा छिड़कने एवं फल तोड़ने में 8–10 दिनों का अन्तर होना चाहिये। फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए फैरोमेन टेप लगायें।

★**फूल गोभी** की अगेती किस्मों जैसे अर्ली पटना या अर्ली कुंवारी की नर्सरी में बुवाई करें। एक हैक्टर क्षेत्रफल में 600–750 ग्राम बीज पर्याप्त रहता है।

★**मूली** की बुवाई के लिए इस माह में "पूसा चेतकी" किस्म की बुवाई करें। एक हैक्टर की बुवाई के लिए 10 से 12 किग्रा बीज की आवश्यकता पड़ती है।

★**प्याज** की खेती के लिए किस्म एन–53, एग्रीफाउण्ड डार्क रेड में से किसी एक का चयन करें। एक हैक्टर क्षेत्र में बुवाई के लिए 10 किलोग्राम बीज की मात्रा पर्याप्त रहती है।

पुष्पोत्पादन

★**गुलाब, मोगरा** व अन्य फूलों वाले पौधों में 2–3 दिन के अन्तराल से सिंचाई करते रहें। मोगरा के फूल खिलने लगें तब विक्रय हेतु बाजार में भेजें।

★**वर्षाकालीन फूलों** के बीजों की व्यवस्था कर नर्सरी तैयार करें।

पशुपालन व दुग्ध उत्पादन

★पशुओं को सन्तुलित आहार देंवें जिससे उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे।

★पशुओं का लू से बचाव करें। पशुओं को पानी में ग्लुकोज अथवा नमक व शक्कर का घोल पिलायें। 'लू' लगने पर पशु को ठण्डे स्थान पर बांधें तथा माथे पर बर्फ या ठण्डे पानी की पट्टियां करें तथा तुरन्त पशु चिकित्सक से सम्पर्क कर पशु का उपचार करायें।

मुर्गीपालन

★मुर्गीखाने में ऐस्बेस्टॉस/टिन के छत्तों पर पेंट लगायें और पर्दों पर पानी के छींटे मारें या फोगर लगायें जिससे ठंडक बनी रहे।

★मुर्गियों के चारे में प्रोटीन की मात्रा 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दें। इसके लिए मूंगफली की खली तथा मछली के चूरे की मात्रा बढ़ा दें।

★चेचक से बचाब के लिए मुर्गियों में टीके लगवायें।

परख

अप्रेल, 2015 के अंक में प्रकाशित आलेख में से दो प्रश्न पूछे गये थे। सही उतर भेजने वाले लॉटरी द्वारा चुने गये दो विजेता कृषकों के नाम हैं–

1.श्री सीताराम भूरिया,
पुत्र श्री नन्दराम,
ग्रा. पो.– उदावास,
तह.– झुन्झुनूं,
जिला– झुन्झुनूं,
2.श्री गणपत राम,
पुत्र श्री तगाराम माली,
ग्रा. पो.– सुथारो मालियों की ढ़ाणी,
तह.–शेरगढ़,
जिला– जोधपुर (342314)

इस माह के प्रश्न हैं –

प्र.1 बी.टी. कपास की दो उन्नत किस्मों के नाम बताये ?
प्र.2 फसलों के लिए मिट्टी का नमूना कितनी गहराई से लेना चाहिये ?

तो आप भी उठाइये पैन व पोस्ट कार्ड और हमें लिख भेजिये इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब –
उप निदेशक, कृषि (सूचना), कमरा नम्बर 118, कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर–302005

गर्मी की जुताई करें

रबी फसलों की कटाई के तुरन्त बाद मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी गर्मी की जुताई करें। इससे खरपतवार, कीट, सूत्र कृमि एवं बीमारियों के नियंत्रण एवं वर्षा के पानी का अधिक संग्रह करने में मदद मिलती है।

लहसुन के मूल्य संवर्धित उत्पादों से दोहरी आमदनी पायें

लहसुन का उपयोग खाने में सुगंध व स्वाद के लिए मसाले के रुप में किया जाता है। यह मसाले के रुप में भारतवर्ष में उपयोग की जाने वाली प्रमुख फसल है। इसका चटनी, आचार, करी, टमाटर, कैचप आदि खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है। इसमें विद्यमान औषधीय तत्वों की वजह से इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में भी हो रहा है। आमवात व गठिया दर्द, पक्षाघात, कम्पनवात, अजीर्ण, आफरा, ह्रदय रोग (कोलेस्ट्रोल नियंत्रण हेतु) संबंधित बीमारियों में लहसुन का उपयोग लाभकारी पाया गया है। लहसुन में कीटनाशक गुण भी पाये जाते हैं। इसके तेल की वाष्प कुछ कीटों के व्यस्क व लार्वा पर प्रभावी पायी गयी है। लहसुन उत्पाद जैसे– पाउडर, फ्लेक्स, वाष्पीय तेल की मांग देश–विदेश में निरन्तर बढ़ रही है। लहसुन प्रसंस्करण द्वारा इसके विभिन्न उत्पाद बनाकर व भण्डारण अवधि बढ़ाकर मूल्य संवर्धन किया जा सकता है।

लहसुन प्रसंस्करण

लहसुन प्रसंस्करण द्वारा मुख्य उत्पाद जैसे पेस्ट (चटनी), आचार, फ्लेक्स, पाउडर, तेल इत्यादि तैयार किये जा सकते हैं। प्रसंस्करण हेतु सर्वप्रथम लहसुन की गांठों को तोड़ना अथवा कलियाँ पृथक करना आवश्यक है। पाउडर व फ्लेक्स बनाने हेतु कलियों की सुखाई व पिसाई, पेस्ट बनाने हेतु छिलाई उपरान्त गीली कलियों की पिसाई, तेल प्राप्त करने हेतु कलियों का आसवन जैसी प्रमुख क्रियाएं हैं। एन्जाइमेटिक क्रियाओं में लहसुन का रंग भूरा होने एवं वाष्पीय तेल के उड़ने की सम्भावना के कारण छिलाई पश्चात् इसका तुरन्त प्रसंस्करण अति आवश्यक है।

कली छिलाई:– लहसुन की कलियों की छिलाई का कार्य बहुत कठिन तथा समय लेने वाला है। परम्परागत छिलाई कार्य हाथों द्वारा किया जाता है। कलियों को थोड़ा सुखा कर बोरों पर रगड़ा जाता है तथा फिर छिलका हटाया जाता है। लहसुन में छिलाई क्रिया की विशेष महत्ता है। इसमें पाये जाने वाले वाष्पीय तेल की सर्वाधिक मात्रा छिलके की महीन परत के नीचे होती है। अतः छिलाई के दौरान हुई थोड़ी–सी असावधानी तेल का ह्रास करके उत्पाद की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालती है।

लहसुन उत्पाद

लहसुन फ्लेक्स व पाउडर : लहसुन की कलियों को छीलने व पिचकाने के बाद सीधे ही सौर शुष्क या यांत्रिक शुष्क में निर्जलीकरण किया जाता है। भारतीय मानक बिस : 5452 : 1969 के अन्तर्गत सुखाई पूर्व लहसुन को किसी भी रसायन या रंग बढ़ाने वाले पदार्थ आदि से उपचारित करना वर्जित है। सामान्यतया सौर शुष्क द्वारा 5–6 दिन व यांत्रिक शुष्क द्वारा 10–12 घण्टे में लहसुन में नमी की मात्रा 65 प्रतिशत से घट कर 5 प्रतिशत रह जाती है। इस प्रकार प्राप्त सूखे लहसुन से छिलके हटाकर फ्लेक्स के रुप में रखा/ बेचा जा सकता है। उपयोग करने हेतु या माँग के आधार पर इसकी पिसाई कर पाउडर बनाया जा सकता है। आर्द्रता एवं तापमान का लहसुन–पाउडर की गुणवत्ता पर काफी प्रभाव पड़ता है। अतः इसकी पिसाई कम ताप पर तथा पैकेजिंग वायु एवं नमी–रोधी पॉलिथीन/ पैकेट या काँच के पात्रों में करते हैं। 10 कि.ग्रा. ताजा लहसुन से लगभग 2.8 से 3. 0 कि.ग्रा. तक पाउडर प्राप्त किया जा सकता है। पाउडर बनाकर बेचने से लगभग 25 से 30 प्रतिशत मुनाफा अर्जित किया जा सकता है।

लहसुन पेस्ट (चटनी) : लहसुन का पेस्ट बनाने हेतु छीली हुई कलियों को ग्राइण्डर द्वारा पीसा जाता है। इसमें परिरक्षक के रुप में 0.5 प्रतिशत साइट्रिक अम्ल, 0.05 प्रतिशत सोडियम बेन्जोएट व 1.5 प्रतिशत नमक मिलाया जाता है। लहसुन का अदरक के साथ भी पेस्ट बनाया जा सकता है। इस हेतु 35 भाग छीली लहसुन, 55 भाग छीली अदरक व 10 भाग नमक को एक साथ पीसा जाता है। इसमें परिरक्षक के रुप में 1.0 प्रतिशत साइट्रिक अम्ल का घोल तथा 0.1 प्रतिशत सोडियम बेन्जोएट मिलाया जाता है जिससे पी.एच. मान अम्लीय (4.5 से 5.0) हो जाता है तथा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है।

लहसुन आचार : लहसुन का आचार सिरके (2 से 3 प्रतिशत एसिटिक अम्ल) में बनाया जाता है। इस हेतु छीली हुई कलियों को सिरके में डालकर काँच के पात्र में भरा जाता है। तेल वाले आचार या मिक्स आचार हेतु भी छीली कलियों का उपयोग किया जाता है।

ऐसे करें गर्मियों में समय का सदुपयोग

मई–जून गर्मियों के महिने हैं। इन महिनों में खेतों में फसल कम रहती है तथा कृषि कार्य नगण्य रहता है। किसान इस समय का सदुपयोग कैसे करें, यह एक विचारणीय बिन्दु है। किसान अपना ज्यादातर समय सोचने एवं सुस्ताने में व्यर्थ कर देता है। किसान केवल खेती के लिए बारिश की बाट जोहता रहता है। आइये जानते हैं किसान किस तरह इस समय का सदुपयोग कर सुव्यवस्थित तरीके से खेती व पशुपालन कर उत्पादन बढ़ा सकते हैं :–

1. सिंचाई के साधनों की देखभालः– इस समय सिंचाई संयंत्रों की उचित देखभाल एवं रखरखाव कर उनकी कार्य क्षमता तथा कार्य विधि बढ़ा सकते हैं।

फव्वारा सिंचाई संयंत्रः–

★सर्वप्रथम खेत में स्थापित फव्वारा संयंत्र के पाईप, राइजर, नोजल को इकट्ठा कर उनका अवलोकन कर टूट–फूट, लिकेज आदि का निरीक्षण करें।

★नोजल का घूमना रुकने पर नोजल की सफाई करें तथा नोजल की स्प्रिंग का खिंचाव कम होने पर स्प्रिंग बदल दें। स्प्रिंग तथा नोजल में चिकनाई युक्त ग्रीस या तेल नहीं लगायें। क्योंकि इन पर मिट्टी चिपक जाती है।

★गर्मियों में सैट्स को संभाल कर टूटे पाईप, वासर को बदल दें। पाईपों को छाँयादार स्थान पर रखें।

★एच.डी.पी.ई. पाईप को चूहों व गिलहरी से नुकसान से बचाने हेतु वर्ष में एक बार पानी में नीम के तेल का संवाहन करें।

बूंद–बूंद सिंचाई संयंत्रः–

★ड्रिपर में तलछट/कचरा/मिट्टी जमने की स्थिति में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 0.1 प्रतिशत घोल बहाकर साफ करना चाहिये। कचरा/ धूल साफ करने हेतु दबाव से हवा का बहाव भी उपयोगी रहता है।

★चूहे एवं गिलहरी से बचाव हेतु एच.डी.पी.ई. की लेटरल लाइनें समेट कर रखें एवं प्रत्येक मौसम में सिंचाई पूर्व नीम के तेल का बहाव करें।

★सेण्ड फिल्टर/ माइक्रोफिल्टर/ फर्टीलाइजर टैंक की नियमित सफाई करें।

★पौधे की अवस्था के अनुसार प्रति ड्रिपर जल विर्सजन के आधार पर ड्रिपर की संख्या निर्धारित रखें।

★खराब ड्रिपर, बंद ड्रिपरों को बदल दें। लेटरलों को गर्मियों में खराब होने से बचाने के लिए खोलकर छाँयादार स्थान पर रखें।

★मुख्य लाइन, सब लाइनों के वासर लिकेज को दूरस्थ करें।

सिंचाई पम्प सेट की देखभालः–

★इस समय मोटर, पाईप स्टार्टर की देखभाल का उचित समय है। मोटर एवं पम्प का एलाइनमेंट हैड सही रखें, फाउण्डेशन को चैक करें।

★लोहे के पाईप, एच.डी.पी.ई. पाईपों के वासर फुट वाल्व के वासर को आवश्यक होने पर बदल दें।

★पाईपों में कम से कम बैण्ड एवं घुमाव रखें जिससे घर्षण कम हो एवं बिजली की बचत हो सके।

★मोटर पम्प सेट में वायरिंग को चेक करें तथा ग्रीस लगायें।

★बैल्ट द्वारा शक्ति हस्तान्तरण में बैल्ट का खिंचाव उपर्युक्त रखें।

★पम्प सेट स्थापित करते समय कुए की गहराई, सिंचाई जल विसर्जन की मात्रा व पाईप घर्षण की गणना व कार्यक्षमता की गणना से उपयुक्त हार्सपावर की शक्ति ईकाई चुनें। आवश्यक पाईप साइज काम में लेने से उर्जा बचत होगी।

2. इस समय किसान वर्ष भर की फार्म योजना, फार्म बजट, वर्ष भर पशु चारे–दाने की व्यवस्था का लेखा व पशु टीकाकरण की सूची आदि तैयार कर सकता है। रबी, खरीफ व जायद में ली जाने वाली फसलों, इनकी किस्में, बीज, उर्वरक तथा रसायनों की आवश्यक मात्रा, कटाई, थ्रेसिंग व बाजार व्यवस्था, ग्रेडिंग, श्रेणीकरण के बारे में योजना बना सकता है।

3. कृषि कार्य में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों यथा कल्टीवेटर, हैरो, प्लाऊ, कम्बाइन, रीपर तथा स्प्रेयर एवं डस्टर आदि की मरम्मत व सार सम्भाल कर सकता है।

4. किसान खेत के चारों तरफ तारबंदी, मेड़बंदी, खेत के टीलों का समतलीकरण, नहरों की सफाई, डिग्गी, फार्म पोण्ड की मरम्मत, गर्मी की जुताई, मिट्टी की जांच, खरपतवारों की कटाई, नए वृक्ष लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई आदि कार्य कर सकता है।

पृष्ठ 1 का शेष (पी.पी.पी. मोड़....)

उत्पादन बढ़ेगा, तो राज्य के उद्यमियों को अनार की प्रसंस्करण इकाईयाँ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कृषि प्रसंस्करण प्रोत्साहन नीति 2010 को ओर सरलीकृत करने के लिए इसकी समीक्षा की जा रही है। श्री सैनी ने अनार की उपयोगिता के बारे में बताया कि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाईड्रेट, रेशा, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं। यह रक्त संचार को ठीक करता है, उच्च स्क्त चाप को संतुलित रखता है और कई असाध्य बीमारियों से बचाता है। इस कार्यशाला में इज़रायल दूतावास के काउंसलर डेन अलूफ, अनार विशेषज्ञ विनय सप्रे, कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री एम.एल. सालोदिया सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री ने किया पौधारोपण, ग्रीन हाउस का भी किया अवलोकनः– कृषि मंत्री श्री प्रभुलाल सैनी ने अनार के उत्कृष्टता केन्द्र पर पौधारोपण किया। साथ ही उन्होंने राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के कई ग्रीन हाउस और शेडनेट हाउस का भी अवलोकन किया।

पशुओं के गर्मियों में लगने वाले टीके

रोग का नाम	मुख्य लक्षण	टीकाकरण का समय
गाय / भैंस		
गलघोंटू (एच.एस.)	• तेज बुखार व श्वांस लेने में कठिनाई • नाक व मूहँ से पानी गिरना व गले मे सूजन	मई व जून
लंगडा (बी.क्यू.)	• तेज बुखार • पुट्ठों में सूजन व लंगडापन • सूजन को दबाने पर चट–चट की आवाज आना	मई व जून
भेड़/ बकरी		
फाड़किया (ई.टी.)	• मांसपेशियों में खिंचाव /फड़कन • सिर दीवार से मारना • लेटे–लेटे पांव चलाना उत्तेजित होकर कूदना	अप्रेल व मई

बी.टी. कपास की अनुमोदित कम्पनियाँ एवं किस्में

बी.टी. कपास में सूंडियों (लेपिडोप्टेरन कीट) से फसल को बचाने की विशेष क्षमता होती है। बी.टी. कपास की बोल गार्ड–। (बीजी–।) अमेरिकन सूंडी, गुलाबी सूंडी, चित्तीदार सूंडी एवं बोलगार्ड–।। (बीजी–।।) इन तीनों सूंडियों के अतिरिक्त तम्बाकू की सूंडी के प्रति भी अवरोधी है। बी.टी. कपास की बुवाई 15 अप्रेल से 30 मई तक की जाती है। कपास का रेशा निकालने के पश्चात् बिनोले का उपयोग पशु आहार के रुप में किया जाता है।

बीज दरः– बी.टी. कपास का 1.25– 1.5 किलो बीज प्रति हैक्टर की आवश्यकता होती है। खेत के चारों तरफ 300 ग्राम रिफ्यूजी कपास फसल (नॉन बीटी) की बुवाई करें।

बुवाई की विधिः– बी.टी. कपास की बुवाई बीज रोपकर (डिबलिंग) 108 X 60 सेमी (108 से.मी. कतार से कतार एवं पौधे से पौधे 60 सेमी.) अथवा 67.5 X 90 सेमी. की दूरी पर करें।

खाद व उर्वरक :– बी.टी. कपास के लिए नत्रजन की मात्रा 150 किलो, 40 किलो फॉस्फेट तथा 20 किलो पोटाश प्रति हैक्टर देवें। 50 किलो नत्रजन बुवाई के समय एवं शेष 50–50 किलो नत्रजन पहली व दूसरी सिंचाई पर देवें।

सूक्ष्म तत्व सिफारिश :– मृदा जाँच के आधार पर जिंक तत्व की कमी निर्धारित होने पर बुवाई से पूर्व बी.टी में 24 किलोग्राम जिंक सल्फेट को मिट्टी में मिलाकर ऊरकर या फैलाकर दिया जाना चाहिये। यदि बुवाई के समय जिंक

सल्फेट नहीं दिया गया हो तो 0.5 प्रतिशत जिंक सल्फेट के घोल का दो छिड़काव पुष्पन तथा टिण्डा वृद्धि अवस्था पर करने से अधिक उपज ली जा सकती है।

बी.टी. कपास में बूदं–बूदं सिंचाई पद्धति से सिफारिश किये गये नत्रजन, फॉस्फोरस व पोटाश (जल में घुलनशील उर्वरक) की 80% मात्रा छः बराबर भागों में दो सप्ताह के अन्तराल पर बूदं–बूदं सिंचाई द्वारा देवें।

राज्य सरकार द्वारा राज्य के लिये अनुमोदित कम्पनियाँ एवं किस्में :– **प्रवर्धन सीड्स**–पीआरसीएच–333 (बीजी–।), पीआरसीएच–708,703 (बीजी–।।) **नुजीवीडू सीड्स**– एनसीएस– 902, 913, 138 ((बीजी–।) एनसीएस–855, 858, 145, 955, 9002, 9013, 867, 9012, 9903, (बीजी–।।) **विक्रम सीड्स**–वीआईसीएच– 309, 310 (बीजी–।।) **महाराष्ट्रा हाईब्रिड सीड्स**– एमआरसी– 6025, (बीजी–।), एमआरसी– 7041, 7365, 7347, 7351, 7017, (बीजी–।।) **कृषिधन सीड्स**–केडीसीएचएच– 9810, 507, (बीजी–।) केडीसीएचएच– 641, 02, 202, 722, 065, 532, 621, (बीजी–।।) **अमर बायोटैक**– एबीसीएच– 2099, 1299, 248, 245, 7399, 4899 (बीजी–।।) **विभा एग्रोटेक**– वीबीसीएच–1544, 1534, (बीजी–।।) **बायोसीड रिसर्च इण्डिया**– बायो– 6488–2, 2510–2, 2113–2, 311–2, (बीजी–।।) **तुलसी सीड्स**– तुलसी– 4, 45, 162, 225, 9, 118, 252, 135, 171, (बीजी–।।) **अंकुर सीड्स**– अंकुर– 651, 2226, 8120, (बीजी–।) अंकुर–3028, 3228, 3224, 3244, 5642, 216, 3034, 8120, जय, जस्सी, (बीजी–।।) **प्रभात एग्री बायोटैक**– पीसीएच– 877, 9605, 9602, 9604, (बीजी–।।) **गंगा कावेरी सीड्स–जी के**–239 (बीजी–।।), **जेके एग्रीजेनेटिक्स**– जेकेसीएच– 1947, 1050 (बीजी–।) जेकेसीएच– 0109, 99 डबल, इन्द्र वज्र डबल (बीजी–।।) **बायर बायोसाईन्स**– आईटी– 905 (बीजी–।) एसपी– 7007, 7010, (बीजी–।।) **कावेरी सीड्स**– केसीएच– 14 के 59, 15 के 39, 707, 311, 36, 189, 999 (बीजी–।।) **अजीत सीड**– एसीएच–33–2, 133–2, 177–2, 155–2, (बीजी–।।) **सीड वर्क्स इण्टरनेशनल**– एसडब्ल्यूसीएच– 4711, 2, 4713 (बीजी–।।) **सूपर सीड्स**– सूपर–5, 544, 511, 721, 931, 965, 971 (बीजी–।।) **रासी सीड्स**– आरसीएच– 134 (बीजी–।), आरसीएच– 134, 650, 653, 656, 314, 602, 776 (बीजी–।।), **ज़ायलम सीड्स**– एनएसपीएल– 2223, 252, (बीजी–।।), **नाथ बायोजीन**– एनसीईएच– 6, 31, 26 (जीएफएम), **सोलर एग्रोटैक**– सोलर– 65, 77, 76, 75 (बीजी–।।), **कीर्तिमान एग्रो जेनेटिक्स**– केसीएचएच– 8152, 932, 904 (बीजी–।।), **श्रीराम बायोसीड जेनेटिक्स**– 841–2, 846–2, 7215 (बीजी–।।), ग्रीन गोल्ड सीड्स– जीबीसीएच– 95, 90, 8888 (बीजी–।।)।

जारी की गई किस्मों का चयन करते समय क्षेत्र विशेष का ध्यान रखकर ही किस्मों का चयन करें।

अधिक जानकारी के लिये नजदीकी कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें।

ऐसे मंगवायें "खेती री बातां"
घर बैठे वर्षभर **खेती री बातां** अखबार मंगवाने के लिये अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें या आहरण वितरण अधिकारी, कृषि आयुक्तालय कमरा नं. 250, पंत कृषि भवन, जयपुर के नाम 12/– रुपये का मनीआर्डर भेजें। **स्वयं का साफ–साफ डाक का पूरा पता, पिन कोड नंबर व मोबाइल नंबर अवश्य लिखें।**

डाक पं.सं. **JaipurCity/409/2015-17**
आर.एन.आई – 70296/98

प्रेषक–
उप निदेशक कृषि (सूचना)
118, पंत कृषि भवन,
जयपुर–302005

प्रेषिति–

अभी करें तैयारी फलोद्यान लगाने की

सुनियोजित सही तरह से लगाया गया बगीचा न केवल अत्यन्त लाभकारी व्यवसाय सिद्ध होता है अपितु किसान के परिवार को निरंतर कई वर्षों तक रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ उसके श्रम व साधनों का भरपूर उपयोग कराता है। बगीचा लगाना तभी सार्थक होगा जब इसकी प्रारम्भिक कार्य योजना वैज्ञानिक एवं तकनीकी पूर्ण हो। इन सब बातों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

जलवायुनुसार फलदार पौधों का चयनः– जिन क्षेत्रों में अच्छी मानसूनी वर्षा होती है वहाँ आम, केला, अंगूर, मौसमी, संतरा, पपीता, अमरुद, अनार आदि लगाने चाहिये। कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में बेर, बेलपत्र, आँवला, लेहसुवा (गुंदा), फालसा, खजूर आदि फल वृक्ष आसानी से उगाये जा सकते हैं। जैसे– झालावाड़ जिला संतरा तथा श्रीगंगानगर जिला किन्नू, माल्टा व मौसमी के लिए उपयुक्त है।

विभिन्न फलदार पौधों की लवणीय सहनशीलताः– अपने बगीचे की मिट्टी व पानी की जाँच करवायें और परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फलदार पौधों का चयन करें।

◈अत्यधिक लवणरोधक – खजूर, बेर, जामून।

◈मध्यम लवणरोधक – आँवला, फालसा, अमरुद, अनार, अंजीर, अंगूर।

◈कम लवणरोधक – संतरा, नींबू, किन्नू, आम।

फलदार पौधे लगाने के लिए की जाने वाली तैयारियाँः–

◈गड्ढ़े खोदने का समयः– फलदार पौधे अधिकतर वर्षा के मौसम में लगाये जाते हैं इसलिए गड्ढ़े खोदने का सबसे सही समय **मई–जून** माह होता है क्योंकि इस समय तेज गर्मी पड़ने से गड्ढ़े तप जाते हैं जिससे मिट्टी में मौजूद कीड़े तथा बीमारी के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं।

◈गड्ढ़े का आकारः– बड़े पौधों जैसे आम, आँवला, बेलपत्र, संतरा, किन्नों, बेर आदि के लिए गड्ढ़े का आकार 3X3X3 फीट व अनार, नींबू, अमरुद के लिए 2X2X2 फीट एवं पपीता में गड्ढ़े का आकार 1.5X1.5X1.5 फीट गहरा रखें।

◈गड्ढ़े की भराईः– गड्ढ़ों को 15 से 20 दिन खुला रखें ताकि मिट्टी में मौजूद कीड़े तथा रोग के जीवाणु गर्मी से नष्ट हो जायें। गड्ढ़े भरने के लिए ऊपर की डेढ़ फीट मिट्टी में मींगणी या सड़ी गोबर की खाद एवं एक किलो सुपर फॉस्फेट मिलायें।

यदि खेत की मिट्टी काली या भारी हो तो ऐसे गड्ढ़े में एक तिहाई भाग खेत की मिट्टी, एक तिहाई भाग बालू, एक तिहाई भाग गोबर या मींगणी की खाद अच्छी तरह मिलाकर भरनी चाहिये।

दीमक से पौधों को बचाने के लिए गड्ढ़े में क्यूनालफॉस 1.5 प्रतिशत चूर्ण 100 ग्राम प्रति गड्ढ़े में डालें। यह भी ध्यान रखें कि गड्ढ़े, भूमि की सतह से चार अंगुल ऊपर तक भरें। गड्ढ़े भरने के बाद यदि वर्षा न हो तो सिंचाई कर दें ताकि गड्ढ़ों की मिट्टी बैठ जाये व बीच की हवा निकल जाये।

स्वस्थ धरा–खेत हरा

किसान अपने खेतों से मिट्टी और पानी के नमूने लेकर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में मिट्टी–पानी की जाँच करवायें। इससे फसल के लिए संतुलित खाद/उर्वरक की मात्रा का पता चलेगा, साथ ही पैसों की बचत होगी एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी।

मृदा की जाँच से लाभः–
✦प्रति ईकाई क्षेत्र से कम लागत में कृषि उत्पादन बढ़ाना।
✦संतुलित खाद एवं उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देना।
✦मृदा में मुख्य व सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्ध मात्रा के अनुसार फसल की पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संतुलित उर्वरक सिफारिश देना।
✦लवणीय व क्षारीय समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान कर भूमि सुधार हेतु सिफारिश कर उत्पादन बढ़ाना।
✦फसलों एवं फल वृक्षों के चयन में सुविधा।

सॉयल हैल्थ कार्ड योजनाः–
✦**मृदा नमूनों का संग्रहण**– सिंचित क्षेत्र में 2.5 हैक्टर क्षेत्र तथा असिंचित क्षेत्र में 10 हैक्टर क्षेत्र से एक नमूना।
✦**अवधि**– प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के अन्तराल पर।
✦कृषक मित्रों द्वारा नमूनों को संग्रहित करके नामित प्रयोगशालाओं तक पहुँचाना।
✦मुख्य कृषक के साथ–साथ 2–3 सहकृषकों को भी सॉयल हैल्थ कार्ड दिये जायेंगे।

सॉयल हैल्थ कार्ड वितरणः–
✦कम्प्यूटराईज्ड सॉयल हैल्थ कार्ड।
✦कार्ड में मिट्टी की जाँच के परिणामों के साथ–साथ क्षेत्र की प्रमुख खरीफ व रबी फसलों के लिए खाद व उर्वरक सिफारिशें।
✦कार्ड लेमिनेट करने के उपरान्त कृषकों में वितरण।

मृदा की जाँच कब करवायें?
✦फसल बुवाई से एक–डेढ़ माह पूर्व मृदा की जाँच करवायें ताकि बुवाई से पूर्व ही परिणाम प्राप्त हो जायें।
✦फसल की कटाई हो जाने अथवा पकी हुई खड़ी फसल में जब भूमि में नमी की मात्रा कम से कम हो।
✦अगर खेत की उत्पादकता कम हो रही है या फसल चक्र बदल रहे हैं।

मृदा स्वास्थ्य की जाँच हेतु नमून कैसे लें?
1. खेत में मिट्टी की ऊपरी सतह साफ कर यादृच्छिक (रेण्डम) आधार पर 10–15 स्थानों का चयन कर 15 सेमी गहरा "V" आकार का गड्ढ़ा खोदकर मिट्टी एकत्रित करें।

2. एकत्रित मृदा को हाथ से अच्छी तरह मिलाकर ढ़ेर बना लें।

3. बीच में आड़ी व खड़ी लाइन डालकर चार भाग कर लें।

4.आमने–सामने के दो भाग फेंक दें एवं शेष दो भागों को फिर अच्छी तरह मिलायें, पुनः ढ़ेर बनाकर चार भाग करके उक्त प्रक्रिया तब तक करें जब तक मिट्टी लगभग 230–300 ग्राम तक रह जाये।

5. इस मिट्टी को साफ प्लास्टिक की थैली में भरें, दो लेबल लें उन पर कृषक का नाम, पता, खेत की पहचान/खसरा नं. व बोई जाने वाली फसल (सिंचित/असिंचित) आदि लिखकर एक लेबल थैली के अन्दर व एक बाहर बांध दें।

मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से संबंधित अधिक जानकारी के लिये निकटतम कृषि कार्यालय में सम्पर्क करें।

पृष्ठ 1 का शेष (समर्थन मूल्य पर....)

सरकार द्वारा गेहूँ का समर्थन मूल्य 1450/–रु. प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्ष 2015–16 में कृषकों से गेहूँ की खरीद गुणवत्ता मापदंडों के आधार पर की जाती है।

क्र. सं.	विशेष मानक (एफ.ए.क्यू)	अधिकतम सहनीय सीमा (प्रतिशत मात्रा)
1.	विजातीय तत्व	0.75
2.	अन्य खाद्यान्न	2.00
3.	क्षतिग्रस्त दाने	2.00
4.	मामूली रुप से क्षतिग्रस्त एवं बदरंग दाने	4.0
5.	सिकुड़े और कच्चे दाने	6.0
6	नमी	12–14

★12 प्रतिशत से अधिक 14 प्रतिशत तक की नमी को पूर्ण कीमत पर छुट प्रदान की जायेगी।

★किसी भी क्रय केन्द्र पर गेहूँ विक्रय के लिए लाने से पूर्व कृषक का पंजीयन आवश्यक है। कृषक द्वारा जमाबंदी या कृषक पासबुक या खसरा गिरदावरी या बैंक की पासबुक एवं पहचान पत्र फोटो युक्त, राशनकार्ड या जॉब कार्ड या वाहन लाइसेंस केडिट कार्ड या पासपोर्ट में से कोई एक लाना आवश्यक है। अनुमानित उपज एवं पंजीयन स्लिप पर लिखी गई बुवाई क्षेत्र के अनुसार जो कुल गेहूँ की मात्रा संबधित कृषक की बनती है उससे अधिकतम 10 प्रतिशत से ज्यादा गेहूँ की खरीद नहीं की जायेगी।

★पंजीयन प्रक्रिया के तहत प्रदत्त पंजीयन क्रमांक व किसान का कोई भी पहचान पत्र ही किसान की पहचान होगी।

★किसानों को उनके पंजीयन फार्म को भरते समय वे किस माह के किस पखवाड़े में अपना गेहूँ विक्रय हेतु लाना चाहते हैं का विकल्प दिया गया है। उसी विकल्प में से तिथि निधार्रित करते हुए एस.एम.एस. से सूचना दी जायेगी। प्राथमिकता का क्रम उसी अनुसार रहेगा।

★गेहूँ की खरीद अन्तर्गत गेहूँ की किस्म के बारे में कोई मतभेद/विवाद हो तो मण्डी स्तर/क्रय केन्द्रवार स्थानीय स्तर पर एक कमेटी का निर्धारण किया गया है। इसमें कृषि विभाग का कृषि पर्यवेक्षक कृषि उपज मंडी सुपरवाइजर, संबधित क्रय विक्रय सहकारी समिति का व्यवस्थापक तथा राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति निगम का प्रतिनिधि सम्मिलित है। किसी क्रय केन्द्र पर कोई समस्या हो तो संबधित अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति या उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति संबधित जिला या प्रबन्ध निदेशक राजफैड या क्षेत्रिय प्रबन्धक राजफैड/तिलम संघ से सम्पर्क करें।

स्वत्वाधिकारी कृषि विभाग राजस्थान सरकार के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक उप निदेशक, कृषि (सूचना), कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा कृषि सूचना मुद्रणालय, जयपुर से मुद्रित और पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर से प्रकाशित।

प्रकाशक – खेमराज शर्मा
सम्पादक – डॉ. पूनम चौधरी
परामर्श – जे.पी. यादव
डिजाइनर – आर. मैसी